D:\ADN\ALL LETTER 2017.DOCX343

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक–एफ. 4(1)(315)/पोषा/ICDS/2013/ 183784 - 184087 जयपुर, दिनांक: 15/10/18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषयः– स्वयं सहायता समूह का अमृता सोसाइटी एवं राजीविका से पंजीकृत होने बाबत।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक175114–417 दिनांक01.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 में बिना निविदा कय करने हेतु अधिसूचना दिनांक 13.09.2017 के द्वारा नियम–32 के एस.ओ. 135 के कम संख्या 54 पर अधिसूचित अभिकरणो से प्रत्यक्ष उपापन किए जाने की सूची में "पूरक पोषण" को भी सम्मिलित किया गया है। जिसके अनुसार सभी स्वयं सहायता समूह अमृता सोसाइटी एवं राजीविका से पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसके लिए आपको परियोजना में कार्यशील अमृता सोसाइटी एवं राजीविका से पंजीकृत स्वयं सहायता समूहो की सूची मुख्यालय में प्रेषित करने एवं जिन स्वयं सहायता समूहो का पंजीकरण अभी तक नही हुआ है, उनका पंजीकरण कर सूचना सात दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। किन्तु अभी तक आप द्वारा सूचना प्रेषित नही की है।जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपकों पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 22.10.2018 तक परियोजना में पूरक पोषाहार आपूर्ति करने वाले कार्यशील अमृता सोसाइटी अथवा राजीविका से पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों की सूची तथा अपंजीकृत स्वंय सहायता समूहों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अवगत करावें ।

उक्त सूचना के अभाव में पूरक पोषाहार मद में अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु प्राप्त मांग प्रस्तावों पर विचार नही किया जावेगा तथा बजट के अभाव में पूरक पोषाहार कार्यकम बाधित होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत आपका व्यक्तिगत उत्तदायित्व निर्धारित किया जावेंगा ।

(सुषमा अरोडा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

क्रमांक–एफ. 4(1)(315)/पोषा/ICDS/2013/184044-18512 जयपुर, दिनांकः 15/10/18

प्रतिलिपी –

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त को भेजकर लेख है कि पूरक पोषाहार क्रय हेतु विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु ।

(जिज्ञासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक(पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in